


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

भारती स्टेट बैंक बनाम मैसर्स राजस्थान हैण्ड्रीकाफ्ट म्यूजीयम

प्रकरण संख्या : 510/2019 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
02.03.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सरफेशी प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज यथा हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति के बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था वाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	